भाग –ए

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी	श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा, **RJS**
निर्णय दिनांक	24.07.2026
प्रकरण संख्या	352 / 2021
अंतर्गत धारा	279, 337, 338 आईपीसी
CIS No	913/2021
CNR No	
FIR NO	76/2021 Police Station Rajnagar

परिवादी / शिकायतकर्ता	दिनेश माली
राज्य की ओर से	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	मनोज पालीवाल पुत्र श्री किशनलाल, निवासी– सुखाडिया नगर, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री भरत पालीवाल

भाग–बी

अपराध की दिनांक	20.02.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की दिनांक	20.02.2021
आरोप पत्र दाखिल करने की दिनांक	06.08.2021
आरोप सुनाये जाने की दिनांक	06.08.2021
बयान आरम्भ करने की दिनांक	12.11.2021
बहस अंतिम सुनने की दिनांक	24.07.2026
निर्णय की दिनांक	24.07.2026
दण्डादेश सुनाये जाने की दिनांक	

भाग–सी

अभियुक्त का विवरण

क.सं.	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफ्तारी की दिनांक**	**जमानत की दिनांक**	**धारा**	**दोषमुक्त / दोषसिद्ध**	**दण्डित या नहीं**	**धारा 468 बीएनएसएस के तहत अभियुक्त द्वारा प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि**
01	मनोज	––	––	279, 337, 338 आईपीसी	**दोषमुक्त**	नहीं	––

भाग–द्वितीय

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय द्वारा परीक्षित साक्षीगण की सूची

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी

साक्षी नंबर	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
पी.ड. 01	देउ बाई	मजरूबा
पी.ड. 02	जगदीश	चश्मदीद साक्षी
पी.ड. 03	मानसिंह	मेकेनिकल मुआयना
पी.ड. 04	नितेश	नक्शा मौका
पी.ड. 05	डॉ राजेश करणपुरिया	चिकित्सक
पी.ड. 06	डॉ यशवंत भुलावत	चिकित्सक
पी.ड. 07	कमल पालीवाल	फर्द जब्ती
पी.ड. 08	नरोत्तम पुरी	अनुसंधान अधिकारी
पी.ड. 09	मांगीलाल	फर्द जब्ती
पी.ड. 10	दिनेश	फरियादी

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजो की सूची

क्र.सं.	प्रदर्श की संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	चोट प्रतिवेदन
02	प्रदर्श पी 02	नक्शा मौका
03	प्रदर्श पी 03	पुलिस बयान
04	प्रदर्श पी 04	मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट
05	प्रदर्श पी 05	पुलिस तहरीर
06	प्रदर्श पी 06	पुलिस बयान नितेश
07	प्रदर्श पी 07	एक्सरे रिपोर्ट
08	प्रदर्श पी 08	एक्सरे प्लेट
09	प्रदर्श पी 09	एक्सरे प्लेट
10	प्रदर्श पी 10	फर्द जब्ती
11	प्रदर्श पी 11	रिपोर्ट
12	प्रदर्श पी 12	चाक एफआईआर
13	प्रदर्श पी 13	नोटिस 133, 134 एमवी एक्ट
14	प्रदर्श पी 14	आरसी प्रति
15	प्रदर्श पी 15	इंश्योरेंस प्रति

16	प्रदर्श पी 16	डीएल प्रति
17	प्रदर्श पी 17	चार्जशीट

:: निर्णय :: **दिनांक : 24.07.2026**

01. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी दिनेश माली ने एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 20.02.2021 को पुलिस थाना राजनगर पर इस आशय की पेश की कि वह और उसकी काकी देउ बाई, नई बावडी 100 फीट रोड के पास राजनगर में स्थित खेत पर करीब दोपहर 1 बजे पैदल चलकर जा रहे थे कि एक स्कुटी चालक गलत साईड से अनियंत्रित स्पीड व गफलत व लापरवाही से आकर उसकी काकी के अम्बेडकर सर्किल पर टक्कर मार दी, जिससे उसकी काकी के कई जगहों पर चोट आई है। उक्त स्कुटी के नंबर आर जे 30 एसडब्ल्यु 7378 है .....आदि।

02. उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना राजनगर पर एफआईआर संख्या 76/2021 दर्ज की जाकर अनुसंधान किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त मनोज के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 आईपीसी में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 आईपीसी का आरोप सारांश सुनाया गया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप सुन व समझकर आरोप से इन्कार किया तथा अंवीक्षा चाही।

04. दौराने साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षीगण पी.ड. 01 देउ बाई, पी.ड. 2 जगदीश, पी.ड.3 मानसिंह, पी.ड.4 नितेश, पी.ड.5 डॉ राजेश करणपुरिया पी.ड.6 डॉ. यशवंत भुलावत पी.ड.7 कमल पालीवाल, पी.ड.8 नरोतम पुरी, पी.ड.9 मांगीलाल, पी.ड.10 दिनेश को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रपी.1 से लगायत प्र पी. 17 तक दस्तावेजो को प्रदर्शित करवाया गया।

05. अभियुक्त को धारा 351 BNSS (313 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए कथन

किया कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करनी चाही। जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

06. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य से आरोप प्रमाणित किया जाना व्यक्त कर अभियुक्त को दोषी करार देने का निवेदन किया।

07. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क दिया है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है। गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जावें।

08. उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि –

01. क्या दिनांक 20.02.2021 को समय दोपहर करीब 1 बजे पर राजनगर के 100 फीट रोड़ के पास अम्बेडकर सर्किल पर अभियुक्त मनोज द्वारा स्कुटी नंबर आर जे 30 एसडब्ल्यु 7378 को गफलत व लापरवाही पूर्वक चलाकर देउ बाई के टक्कर मार दी, जिससे देउ बाई के साधारण व गंभीर उपहति कारित हुई?
02. यदि हां तो अभियुक्त के विरूद्ध दण्ड क्या होगा?

9. विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन द्वारा पेश किए गए गवाहों, गवाह पीड. 10 दिनेश है, जिसके द्वारा प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, किन्तु गवाह ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि उसने दुर्घटना होते हुए नही देखी, उसे घटना के बारे में बंशीलाल माली ने फोन करके बताया था, इस प्रकार एक तरफ तो यह गवाह रिपोर्ट में स्वंय का देउ बाई के साथ जाना बताता है, किन्तु बयानों में घटना स्थल पर मौजूद होना ही नही बताता है। उक्त गवाह ने अपने बयानों में बाईक से टक्कर होना बताया है, लेकिन बाईक का नंबर बताने में असमर्थ रहा है, और न ही बाईक चालक का नाम बताने में समर्थ रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त गवाह स्वंय अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट की ताईद नही करता है।

10. गवाह पी.ड. 1 देउ बाई स्वंय पीड़िता है जो यह कथन करती है कि घटना के दिन वह और उसका भतीजा दिनेश पैदल 100 फीट रोड पर अपनी साईड पर जा रहे थे तो स्कुटी वाले ने लापरवाही से चलाकर उसके टक्कर मार दी, जिससे उसके चोटें आई, किन्तु प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह कथन करती है कि घटना के दिन वह अपने खेतों पर अकेली ही जा रही थी, दिनेश साथ नही था। पुलिस वालो ने उसके कभी कोई बयान नही लिए। उक्त गवाह द्वारा अपने बयानों में ना तो स्कुटी के नंबर बताया और ना ही स्कुटी चालक का नाम बताया। ऐसी स्थिति में उक्त गवाह के बयानों से अभियोजन को कोई मदद नही मिलती है।

11. गवाह पी.ड. 2 जगदीश घटना का चश्मदीद गवाह है किन्तु यह गवाह कथन करता है कि मौके पर एक्सीडेंट होकर भीड इकटठा हो गई थी। उस समय मैं अपने दोस्त के साथ 100 फीट रोड पर जा रहा था, भीड ने बताया कि देउ बाई को पैदल चलते हुए को एक स्कुटी वाले ने टक्कर मार दी है, जिससे देउ बाई के चोट आई है। स्कुटी के नंबर उसे पता नही है, और न ही किसी ने बताए है। उक्त गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराया गया है। जिरह में गवाह ने यह कथन किया है कि उसने मौके पर स्कुटी के नंबर नही देखे थे और न ही कभी कोई बयान प्र पी 3 में बताए थे। इस प्रकार इस गवाह द्वारा अपने सामने दुर्घटना होने से इन्कार किया तथा दुर्घटना किस नंबर के वाहन से हुई वह वाहन चालक कौन था, यह बताने में असमर्थ रहा है।

12. गवाह पी.ड. 4 नितेश ने अपने बयानों में कथन किया है कि उसने धटना के दिन कोई दुर्घटना नही देखी तथा उस दिन वह अपनी जीम पर था, तथा पुलिस ने उसे पास में ही दुर्घटना के संबंध में नक्शा मौका बनाने के लिए बुलाया था और नक्शे मौके पर हस्ताक्षर करवाए थे। उक्त गवाह को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराया गया है। जिरह में गवाह ने कथन किया है कि वह देउ बाई को जानता है, वह उसके मोहल्ले में ही रहती है, उसने स्कुटी नंबर आर जे 30 एसडब्ल्यु 7378 को देउ बाई के पीछे से टक्कर मारते हुए नहीं देखा। पुलिस ने उससे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। पुलिस बयान प्रपी6 उसने पुलिस को नही दिए।

13. इस प्रकार प्रकरण में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो रिपोर्टकर्ता द्वारा अपनी रिपोर्ट के विपरीत जाकर स्वंय का घटना स्थल पर नही होना बताया है। स्वंय देउ बाई द्वारा अपने बयानों में मुख्य परीक्षा का खण्डन करते हुए दिनेश का मौके पर नही होना बताया है। चश्मदीद गवाहान नितेश व जगदीश द्वारा अपने सामने स्कुटी नंबर आर जे 30 एसडब्ल्यु 7378 द्वारा देउ बाई के टक्कर मारने से देखने से इन्कार किया है तथा अपने पुलिस बयानों को गलत बताया है। किसी भी गवाह ने अपने बयानों में टक्कर मारने वाले वाहन का नंबर नही बताया है और न ही टक्कर मारने वाले वाहन के चालक का नाम बताया है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य संदेह से परे साबित नही होता है कि वक्त घटना अभियुक्त मनोज स्कुटी नंबर आर जे 30 एसडब्ल्यु 7378 को चला रहा हो और इसको गफलत व लापरवाही से चलाकर उसने देउबाई के टक्कर मारी हो। ऐसी स्थिति में मुख्य गवाहों के घटना के संबंध में वाहन के नंबर व वाहन चालक का नाम नही बताने से प्रकरण के अन्य गवाहान पी.ड. 3, पी.ड.5, पी.ड.6, पी.ड.7, पी.ड.8 औपचारिक प्रकृति मात्र रह जाते है। स्वंय अनुसंधान अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि उसके अनुसंधान में किसी भी गवाह ने यह नही बताया है कि स्कुटी कौन चला रहा था। किसी भी गवाह ने आहत व स्कुटी किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रहे थे यह नही बताया तथा दुर्घटना स्थल पर स्कुटी चालक को किसी ने नही देखा। ऐसी स्थिति में उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त मनोज के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 आईपीसी का अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

:: आदेश ::

14. अतः अभियुक्त मनोज पुत्र श्री किशनलाल, निवासी– सुखाड़िया नगर नाथद्वारा, जिला राजसमंद को अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 आईपीसी के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके तुरन्त प्रभाव से

निरस्त किये जाते है। जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर है जो सुपुर्दगीदार के पास रहे। बाद गुजरने मियाद सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा स्वतः निरस्त समक्षे जावें। प्रकरण में धारा 395 बी.एन.एस.एस. के तहत पीड़ित को कोई प्रतिकर राशि दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

(धर्मेन्द्र कुमार शर्मा)

15. निर्णय व आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक 24.07.2026 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(धर्मेन्द्र कुमार शर्मा)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.27 11:35:07 IST